

अन्तिम डिकी व मुकदमे इबतदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

रक्षपालसिंह पुत्र भीवाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरु हाल निवासी
सैनिक बस्ती, चूरु तहसील व जिला चूरु

-वादी-

बनाम

1. केशराराम
2. लालचन्द
3. बहादुरसिंह
4. फतेहचन्द
5. जगुराम
6. मोहनी पुत्री भीवाराम पत्नी मोहरसिंह झूरिया जाति जाट निवासिनी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरु (राज.) वर्तमान निवास स्थान डोकवा तहसील राजगढ जिला चूरु (राज.)
7. परमेश्वरी पुत्री भीवाराम पत्नी चिमनाराम गोदारा जाति जाट निवासिनी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरु (राज.) वर्तमान निवास स्थान ग्राम झारिया तहसील व जिला चूरु (राज.)
8. सोनी पुत्री भीवाराम पत्नी विद्याधर नैण जाति जाट निवासिनी ग्राम मोतीसर तहसील व जिला चूरु (राज.) वर्तमान निवास स्थान कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
9. श्रीचन्द
10. हनुमान
11. आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा चूरु जरिये शाखा प्रबन्धक
12. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरु जरिये शाखा प्रबन्धक
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चूरु

पुत्रगण भीवाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम मोतीसर
तहसील व जिला चूरु (राज.)

पुत्रगण भीवाराम जाति जाट निवासीगण मोतीसर तहसील
व जिला चूरु (राज.)

-प्रतिवादीगण-

दावा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा नं. 05/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री श्रवणकुमार
पंवार एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व श्री भीमसिंह शेखावत एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1
मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया
जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 5, 160/65, 162/68, 164/95, 165/95 कुल
तादादी 13.4937 हैक्टेयर रोही ग्राम मोतीसर एवं ख.नं. 47, 74 कुल तादादी 8.9410 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी

चूरु

रोही ग्राम बाढकी तहसील चूरु में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 10 का खाता विभाजन किया जाकर निम्नानुसार खाते व लगान अलग-अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. में)	किस्म भूमि	लगान	रोही ग्राम
1.	केशराराम पुत्र भीवाराम जाति जाट निवासी मोतीसर खातेदार	5 मी.	0.2150	बारानी	0.42	मोतीसर
		160/65 मी.	1.0686	बारानी	2.12	
		164/95 मी.	0.5859	बारानी	1.16	
		किता-3	1.8695	बारानी	3.70	
2.	जगुराम पुत्र भीवाराम जाति जाट निवासी मोतीसर खातेदार	5 मी.	0.2150	बारानी	0.42	मोतीसर
		160/65 मी.	1.0686	बारानी	2.12	
		164/95 मी.	0.5859	बारानी	1.16	
		किता-3	1.8695	बारानी	3.70	
3.	फतेहचन्द पुत्र भीवाराम जाति जाट निवासी मोतीसर खातेदार	5 मी.	0.2150	बारानी	0.42	मोतीसर
		160/65 मी.	1.0686	बारानी	2.12	
		164/95 मी.	0.5860	बारानी	1.16	
		किता-3	1.8696	बारानी	3.70	
4.	बहादुरसिंह पुत्र भीवाराम जाति जाट निवासी मोतीसर खातेदार	5 मी.	0.2150	बारानी	0.42	मोतीसर
		160/65 मी.	1.0686	बारानी	2.12	
		164/95 मी.	0.5860	बारानी	1.16	
		किता-3	1.8696	बारानी	3.70	
5.	रक्षपालसिंह पुत्र भीवाराम जाति जाट निवासी मोतीसर खातेदार	5 मी.	0.2150	बारानी	0.42	मोतीसर
		160/65 मी.	1.0686	बारानी	2.12	
		164/95 मी.	0.5860	बारानी	1.16	
		किता-3	1.8696	बारानी	3.70	
6.	सन्तोष पत्नी लालचन्द, सन्दीपकुमार, रोहिताश, प्रियंका पि. लालचन्द ब.हि.ब. जाति जाट निवासी मोतीसर खातेदार	5 मी.	0.3161	बारानी	0.82	मोतीसर
		160/65 मी.	0.6514	बारानी	1.30	
		162/68	0.3161	बारानी	0.62	
		164/95 मी.	0.5860	बारानी	1.16	
7.	हनुमान, श्रीचन्द पि. बेगाराम ब.हि.ब. जाति जाट निवासी मोतीसर खातेदार	किता-4	1.8696	बारानी	3.70	-
		165/95	1.1382	बारानी	2.25	मोतीसर
		164/95 मी.	1.1381	बारानी	2.25	
		47	0.8726	बारानी	1.73	बाढकी
74	8.0684	बारानी	15.98			
	किता-4	11.2173	बारानी	22.21	-	

जिन खातेदारों का हिस्सा बैंक के रहन है, वह यथावत रहन रखा जावे। तहसीलदार, चूरु को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21 माह जून सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
चूरु